रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 182] दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 11, 2011/कार्तिक 20, 1933 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 195
No. 182] DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 11, 2011/KARTIKA 20, 1933 [N.C.T.D. No. 195

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

सामान्य प्रशासन विभाग

(स्वतन्त्रता सेनानी प्रकोष्ट)

अधिसूचना

दिल्ली, 11 नवम्बर, 2011

सं.फा.5(13)/99/सां.प्र.वि./स्व.से.से./1332.— उपराज्यपाल, दिल्ली, निम्नलिखित सदस्यों की स्वतंत्रता सेनानी राहत एवं स्मारक समिति का सहर्ष पुनर्गठन, तत्काल प्रभाव से करते हैं :—

क्र. सं.	नाम	पद
(1)	(2)	(3)
1.	श्री बंसी लाल मेहता	अध्यक्ष
2.	श्री मोहन सिंह बम्मी	उपाध्यक्ष
3.	श्री अजीत सिंह	सदस्य
4.	श्री इंदरजीत सिंह भाटिया	सदस्य
5.	श्री विश्व बन्धु गुप्ता	सदस्य
6.	श्री मोती लाल बकोलिया	सदस्य
7.	श्री पी. सी. कौशिक	सदस्य
8.	श्री ओ. पी. बहल	सदस्य
9.	श्री संदीप दीक्षित	सदस्य
10.	श्री एच. एन. शर्मा	सदस्य
11.	श्री अमरीश सिह गौतम	सदस्य
12.	श्री रमेश दत्ता	सदस्य
13.	श्री रामेश्वर दयाल	सदस्य
14.	सरदार लाभ सिंह	सदस्य
15.	श्री सतपाल सैनी	सदस्य
16.	श्री शौकत अली हाशमी	सदस्य
17.	श्री डी. एन. तारा	सदस्य
18.	श्रीमती मोमता बी. मेहता	सदस्य
19.	श्री एस. आर. माधवन	सदस्य
20.	श्री बेल बहादुर	सदस्य
21.	उप सचिव (सां.प्र.वि/स्व.से.प्रको.)	सदस्य सचिव

इस समिति का मुख्य कार्य स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन संबंधी प्रार्थना-पत्रों की जांच करके स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन व दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के लिए सिफारिश करना होगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
बी. वी. सेल्वराज, प्रधान सचिव

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

(Freedom Fighter Cell)

NOTIFICATION

Delhi, the 11th November, 2011

No. F. 5(13)/99/GAD/FF/1332.—The Lt. Governor, Delhi is pleased to reconstitute the Freedom Fighters Relief & Memorial Committee consisting of the following :—

S. No.	Name	Designation
1.	Sh. Bansilal Mehta	Chairman
2.	Sh. Mohan Singh Bammi	Vice-Chairman
3.	Sh. Ajit Singh	Member
4.	Sh. Inderjeet Singh Bhatia	Member
5.	Sh. Vishwa Bandu Gupta	Member
6.	Sh. Moti Lal Bakolia	Member
7.	Sh. P. C. Kaushik	Member
8.	Sh. O. P. Bahl	Member
9.	Sh. Sandeep Dixit	Member
10.	Sh. H. N. Sharma	Member
11.	Sh. Amrish Singh Gautam	Member
12.	Sh. Ramesh Dutta	Member
13.	Sh. Rameshwar Dayal	Member
14.	Sardar Labh Singh	Member
15.	Sh. Satpal Saini	Member
16.	Sh. Shaukat Ali Hashmi	Member
17.	Sh. D. N. Tara	Member
18.	Smt. Momta B. Mehta	Member
19.	Sh. S. R. Madhavan	Member
20.	Sh. Bel Bahadur	Member
21.	Dy. Secretary (FFC/GAD)	Member Secretary

The main function of the committee will be to scrutinize and recommend the application of the freedom fighters for the grant of Swatantrata Sainik Samman Pension & Delhi Union Territory Freedom Fighter Pension.

By Order and in the Name of
the Lt. Governor of the NCT of Delhi,
B. V. SELVARAJ, Pr. Secy.

कार्यालय उद्योग आयुक्त

अधिसूचना

दिल्ली, 11 नवम्बर, 2011

सं. कॉम/सीआई/2007/31/खंड (III)/5042.—दिल्ली औद्योगिक विकास, प्रचालन तथा अनुरक्षण अधिनियम, 2010 (2010 का दिल्ली अधिनियम 08) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, एतदद्वारा दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (डी.एस.आई. आई.डी.सी.), एन-36 बम्बे लाइफ बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में औद्योगिक क्षेत्रों, औद्योगिक सम्पदाओं तथा बहुमंजिला कारखाना परिसरों में उद्योगों का तेजी तथा सुनियोजित ढंग से स्थापित करने तथा संगठित करने के कार्य में सहायता करने हेतु एवं औद्योगिक क्षेत्रों, औद्योगिक भूसम्पत्तियों एवं बहुमंजिला कारखाना परिसरों के संचालन तथा अनुरक्षण के लिए सशक्त करती है ।

दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, निगम के संस्था अन्तर्नियमों में यथावश्यक संशोधन करेगी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश से तथा उनके नाम पर,

सी. अरविन्द, संयुक्त सचिव

DEPARTMENT OF INDUSTRIES

NOTIFICATION

Delhi, the 11th November, 2011

No. F. Comm./CI/2007/31/Vol. (III)/5042.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Delhi Industrial Development, Operation and Maintenance, Act, 2010 (Delhi Act 08 of 2010), the Government of the National Capital Territory of Delhi, hereby empowers the Delhi State Industrial and Infrastructre Development Corporation Limited (DSIIDC), N-36, Bombay Life Building, Connaught Place, New Delhi to secure and assist in the rapid and orderly establishment and organisation of industries in industrial areas, industrial estates and flatted factories complexes and for operation and maintenance of industrial areas, industrial estates and flatted factories complexes in the National Capital Territory of Delhi.

Delhi State Industrial and Infrastructure Development Corporation Limited shall carry out such amendments to the Memorandum of Association of the Corporation as may be necessary.

By Order and in the Name of
the Lt. Governor of the NCT of Delhi,
C. ARVIND, Jt. Secy.

उद्योग विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 11 नवम्बर, 2011

सं. एफ. कॉम/सीआई/2007/31(खंड-III)/5043.—दिल्ली औद्योगिक विकास, प्रचालन तथा अनुरक्षण अधिनियम, 2010 (2010 का दिल्ली अधिनियम 08) की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड से संबधित विषयों पर उनकी सलाह के उपरान्त, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

दिल्ली औद्योगिक विकास, प्रचालन तथा अनुरक्षण नियमावली, 2011

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ.—(1) इन नियमों को दिल्ली औद्योगिक विकास, प्रचालन तथा अनुरक्षण नियमावली, 2011 कहा जा सकेगा ।

(2) यह सरकारी राजपत्र में अपनी प्रकाशन तिथि से प्रभावी होगी ।

2. परिभाषाएं.—(1) जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, तब तक इन नियमों में—

(क) "अधिनियम" का अर्थ दिल्ली औद्योगिक विकास, प्रचालन तथा अनुरक्षण अधिनियम, 2010 (2010 का दिल्ली अधिनियम 08) है;

(ख) "कम्पनी" का अर्थ कम्पनी अधियिम, 1956 (1956 का 1) की धारा 3 में यथापरिभाषित किसी कम्पनी से है;

(ग) "फर्म" का अर्थ भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) की धारा 4 में यथापरिभाषित फर्म से है;

(घ) "प्रबंध निदेशक" का अर्थ सरकार द्वारा नियुक्त निगम के प्रबंध निदेशक से है;

(ङ) "अधिसूचना" का अर्थ शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किसी अधिसूचना से है;

(च) "अधिभोगी" का अर्थ किसी संस्थापना, कारखाने या परिसर के संदर्भ में कोई व्यक्ति जिसका संस्थापना, कारखाने या परिसर, जैसी भी स्थिति हो, के कार्यों पर नियंत्रण है, और इसमें किसी पदार्थ के संबंध में, पदार्थ को रखने वाले व्यक्ति से है;

(छ) "प्रयोक्ता" का अर्थ सड़क, जल निकासी, संचालन के निर्माण और अनुरक्षण और सामूहिक अवजल शोधक संयंत्रों के अनुरक्षण जैसी सेवाओं का प्रयोग कर रहे और निगम द्वारा यथा उपलब्ध कोई गई ऐसी अन्य सेवाएं एवं सुविधाओं का प्रयोग कर रहे औद्योगिक क्षेत्र के भीतर स्थित किसी संस्थापना, कारखाना या परिसर से है ।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द तथा अभिव्यतियां और जो परिभाषित नहीं है, लेकिन अधिनियम में परिभाषित हैं, उन्हें क्रमशः अधिनिमय में दिए गए हैं ।

अध्याय-II

कर्तव्य

3. अधिनियम की धारा 4 के खंड (2) के उप-खंड (क) के अन्तर्गत निगम को सभी औद्योगिक संपदाओं/क्षेत्रों के अन्तरण की समय सारणी.—(1) सभी औद्योगिक क्षेत्र/संपदाएं और फ्लैटिड कारखाने परिसर, जो इस समय दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण और उद्योग विभाग के हैं, वे औद्योगिक क्षेत्रों/संपदाओं/फ्लैटिड कारखाने परिसर में उद्योगों के तीव्र, क्रमबद्ध स्थापना और व्यवस्था/प्रबंध प्राप्त करने और सहायता के प्रयोजन के लिए और अधिनियम के अन्तर्गत उनके प्रचालन, अनुरक्षण एवं प्रबंधन शासकीय राजपत्र में इन नियमों की प्रकाशन तिथि से निगम को स्थानान्तरित/अन्तरित मान लिये जाएंगे ।

(2) अन्तरित औद्योगिक क्षेत्रों, औद्योगिक संपदाओं और फ्लैटिड कारखाने परिसों का वास्तविक रूप से सौंपने/प्राप्त करना नियमावली के प्रारम्भ होने की तिथि से 90 दिन के भीतर पूरा किया जाएगा ।

4. अधिनियम की धारा 4 के खंड (2) के उप-खंड (छ) के अन्तर्गत निगम द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कर्तव्य.—सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम की धारा 4 के खंड (ii) के उप-खंड (क) से (छ) में विशेष रूप से न उल्लिखित किन्हीं अन्य कर्त्तव्यों का इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये यथोचित निगम को सौंप सकती है ।

अध्याय-III

विकसित भू-खंडों, कारखानों के शेडों, भवनों या भवनों के भाग, आवासीय मकानों के भागों का आबंटन

5. अधिनियम की धारा 5 (क) के अन्तर्गत सम्पत्ति का पट्टा, विक्रय, आदान-प्रदान या अन्यथा अन्तरण.—निगम सरकार के पूर्व अनुमोदन से अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत बनाई विभिन्न योजनाएं और श्रेणियों के अन्तर्गत उसके द्वारा धारित किसी संपत्ति को जिन शर्तों पर पट्टे, विक्रय, आदान-प्रदान या अन्यथा अन्तरण कर सकेगी, उनकी व्यवस्था करेगी ।

6. अधिनियम की धारा 5 (घ) के अन्तर्गत विकसित भूमि का आबंटन.—(1) निगम सरकार के पूर्व अनुमोदन से सार्वजनिक सुविधाओं, समुदायिक सुविधाओं, खुले स्थानों, निर्माण कार्यों, आवासीय प्रयोजनों, औद्योगिक और वाणिज्यिक उपयोगों और ऐसी शर्तों के अधीन समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिये विकसित भूमि को आबंटन और ऐसी दरों पर आबंटन के लिये और यथा उपबंधित व्यक्तियों को ऐसी श्रेणियों के लिये नीतियां तैयार करेगी, जो अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत बनाए गए विनियमों में शामिल होगी ।

(2) इस नियम के अन्तर्गत नीतियां तैयार करने के लिए निगम ऐसे ग्राहकों से यथावश्यक परामर्श कर सकती है ।

7. अधिनियम की धारा 5 (ड.) के अन्तर्गत आबंटी को बेदखल करने के लिए नीतिगत दिशा-निर्देश.—(1) निगम निम्नलिखित किसी एक या सभी कारणों के आधार पर पट्टादाता/पट्टाकर्ता के अनुमोदन से किए गए आबंटनों को संशोधित या रद्द कर सकती है :—

(क) यदि वह यह पाती है कि आबंटन/पट्टा किसी तथ्य को छिपाकर या किसी मिथ्या कथन या मिथ्या अभ्यावेदन से या धोखाधडी से प्राप्त किया गया है ।

(ख) पट्टाधारी द्वारा आबंटन तथा/अथवा पट्टा विलेख या दोनों की शर्तों का उल्लंघन ।

(ग) अधिनियम के किसी भी उपबंध का उल्लंघन ।

(घ) निम्नलिखित को उल्लंघन नहीं समझा जाएगा :—

(i) जिस औद्योगिक गतिविधि के लिये भू-खंड आबंटित किया गया है उस औद्योगिक गतिविधि से भिन्न चला रहा आबंटी/अधिभोगी, लेकिन प्रचलित दिल्ली महायोजना के अनुरूप हो ।

(ii) दिल्ली नगर निगम या दिल्ली विकास प्राधिकरण और/या निगम के अनुमोदन प्राप्त करने की शर्त अधीन अनुज्ञेय वाणिज्यिक गतिविधि ।

(iii) अनुज्ञेय गतिविधियां चलाने के लिए निगम के अनुमोदन से किसी अन्य फर्म/कम्पनी/व्यक्ति को भाड़े पर दिया गया परिसर ।

(2) यह पट्टाकर्ता के लिये विधि सम्मत होगा, इसमें कुछ भी रहते हुए औद्योगिक भू-खंड तथा भवन तथा इस पर जुड़नार तथा इस पर उसका पट्टा/आबंटन में पुन: प्रवेश और कब्जा लेने के लिये इसके द्वारा हस्तान्तरित औद्योगिक भू-खंड और इस पर भवन/शेड/फ्लैटिड कारखाने में पुन: प्रवेश के किसी पूर्णवर्ती उद्देश्य या अधिकार का अधित्याग समाप्त और निर्धारित होगा और पट्टाधारी किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का पात्र नहीं होगा, चाहे जो भी हो, और न पट्टाधारी द्वारा भुगतान की गई किसी राशि की वापसी नहीं होगी ।

(3) पट्टा विलेख तथा आबंटन पत्र में कुछ भी विपरीत रहते हुए पट्टाकर्ता पूर्वोक्त पुन: प्रवेश संबंधी अपने अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, और अपने पूर्ण स्वविवेक से, ऐसी राशि की प्राप्ति पर और यथानिर्धारित शर्तों पर अस्थाई या अन्यथा देखी उल्लंघनों की अनदेखी या समाप्त कर सकता है और उक्त राशि या राशियों को या भाड़े का भुगतान भी स्वीकार कर सकता है, जो अठारह प्रतिशत प्रतिवर्ष या समय-समय पर सरकार द्वारा यथानियत ऐसी दर पर साधारण ब्याज सहित बकाया होगी ।

(4) तब तक कोई भी जब्ती या पुन: प्रवेश प्रभावी नहीं होगी/होगा जब तक पट्टाकर्ता ने पट्टाधारी को लिखित में नोटिस तामिल न किया हो ।

(क) विशेष उल्लंघन का उल्लेख करना, तथा

(ख) यदि उल्लंघन दूर किया जा सकता है, तो पट्टाधारी को उल्लंघन दूर करना चाहिए ।

(5) सभी नोटिस, आदेश अधिनियम की धारा 15 और 23 की शर्तों के अधीन तामील किए जाएंगे ।

(6) कारण बताओ नोटिस के उत्तरों की निगम द्वारा जांच की जाएगी और यदि उक्त उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है, तो निगम पट्टाकर्ता की पूर्व अनुमति से भू-खंड/शेड/फ्लैटिड कारखाने का आबंटन रद्द कर सकते हैं और पट्टा निर्धारण के आदेश जारी कर सकती है । पट्टा निर्धारण से पहले भू-खंड/शेड/फ्लैटिड कारखाने के धारक तथा भू-खंड/शेड/फ्लैटिड कारखाने के वर्तमान अधिभोगी को सुनवाई का यथोचित अवसर दिया जाएगा । निर्धारण के किसी विस्तृत आदेश में निर्धारण के आधारों और कारणों का उल्लेख होगा कि आबंटी से प्राप्त उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया है, ऐसा आदेश निगम द्वारा पारित किया जाएगा ।

(7) आबंटी, यदि वह ऐसी इच्छा रखता है, तो वह निर्धारण आदेश की प्राप्ति की तिथि से 30 दिन के भीतर पट्टे की बहाली के लिये पट्टाकर्ता को निर्धारण आदेश के विरुद्ध, पुनर्विचार आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो पट्टाधारी को ऐसे आदेश के जारी होने की तिथि से सात दिन के भीतर भू-खंड/शेड/फ्लैटिड कारखाने का शान्तिपूर्वक कब्जा देने के लिये निदेश दिया जाएगा । यदि आबंटित भू-खंड/शेड/फ्लैटिड कारखाने के शान्तिपूर्वक कब्जा देने संबंधी पट्टाधारी द्वारा इंकार किए जाने की स्थिति में सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत शासकीय राजपत्र में अधिसूचना से सरकार द्वारा नियुक्त संपदा अधिकारी के समक्ष बेदखली प्रकरण प्रस्तुत करके निगम द्वारा बेदखली कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है ।

(8) इसी प्रकार पट्टाधारी द्वारा प्रस्तुत पुनर्विचार आवेदन पत्र के अस्वीकारण होने पर बेदखली कार्रवाई उक्त उप-नियम (7) के अनुसार निगम द्वारा प्रारंभ की जा सकेगी ।

(9) पट्टा शर्तों के उल्लंघन के निराकरण और समय-समय पर पट्टाकर्ता द्वारा यथानिर्धारित बहाली प्रभारों की वसूली के अन्तर्गत पट्टाकर्ता की पूर्ण संतुष्टि पर बहाल की जाएगी ।

8. अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सेवाएं प्रदान करने के लिए फीस तथा प्रभारों की वसूली.—(1) निर्माण, सड़कों का रखरखाव, ड्रेनेज सामूहिक अवजल शोधन संयंत्रों का संचालन एवं अनुरक्षण तथा निगम द्वारा प्रदान की जाने वाली ऐसी अन्य सेवाएं तथा सुविधाओं के लिए निगम द्वारा इनके संचालन तथा अनुरक्षण के लिए निश्चित किया गया खर्च देना होगा । सेवा प्रभारों के उद्देश्यों हेतु प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक एस्टेट/फ्लैटिड फैक्टरी परिसर को अलग लागत केन्द्र माना जाएगा । निगम प्रत्येक प्रयोक्ता से उसके द्वारा देय आनुपातिक फीस तथा प्रभार लगाकर एकत्र करेगी । प्रयोक्ता के बीच परस्पर फीस तथा प्रभारों के भाग का हिसाब अनुसूची-I में दिए गए फार्मूले के अनुसार किया जायेगा ।

(2) सामूहिक अवजल शोधन संयंत्र (सी.ई.टी.पी.) के प्रयोक्ता उनके बीच परस्पर फीस तथा प्रभारों के भाग का भुगतान सामूहिक अवजल शोधन संयंत्र अधिनियम, 2000 तथा सामूहिक अवजल शोधन संयंत्र नियमावली, 2001 के अंतर्गत बनाए गए फार्मूले के अनुसार किया जायेगा ।

(3) निगम द्वारा किसी औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक एस्टेट, फ्लैटिड फैक्टरी परिसर या किसी अन्य क्षेत्र जिसका प्रचालन तथा अनुरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत निगम द्वारा किया जा रहा है, भविष्य में लगाए जाने वाले किसी सामूहिक अवजल शोधन संयंत्र (सी.ई.टी.पी.) के प्रयोक्ताओं को उनके बीच परस्पर फीस तथा

प्रभारों के भाग का भुगतान उपरोक्त नियम 8(2) के अनुसार करना होगा ।

(4) केवल उन्हीं औद्योगिक क्षेत्रों के प्रयोक्ताओं को ही सामूहिक अवजल शोधन संयंत्र के संचालन तथा अनुरक्षण के लिए भुगतान करना होगा जहां इनका संचालन तथा अनुरक्षण निगम को सौंपा गया है ।

(5) जिन औद्योगिक क्षेत्रों के संचालन तथा अनुरक्षण का कार्य सामूहिक अवजल शोधन संयंत्र सोसायटी के पास है वे सामूहिक अवजल शोधन संयंत्र के संचालन तथा अनुरक्षण का खर्च संबंधित सोसायटी को देते रहेंगे ।

(6) फीस तथा प्रभारों के हिस्से के संग्रह का तरीका.— फीस तथा प्रभारों के हिस्से का संग्रह निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा :—

(i) निगम, प्रयोक्ता को सीधे तथा/या निगम द्वारा मनोनीत औद्योगिक प्लाट स्वामियों की किसी एजेंसी/एसोसिएशन को मांग पत्र जारी करेगी ।

(ii) जिन प्रयोक्ताओं को मांग पत्र प्रदान किया गया है वे देय राशि को विनिर्दिष्ट अवधि में निगम को तथा/या निगम द्वारा मनोनीत औद्योगिक प्लाट स्वामियों की किसी एजेंसी/एसोसिएशन के पास जमा करेंगे।

(iii) यदि प्रयोक्ता अपने हिस्से की फीस देने में असमर्थ रहता है या इन्कार करता है तो निगम प्रयोक्ता से अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत समय-समय पर सरकार द्वारा निश्चित ब्याज दरों सहित भू-राजस्व की बकाया राशि के रूप में फीस तथा प्रभारों को वसूलने के लिए कार्यवाही शुरू कर सकती है ।

9. अधिनियम की धारा 8 के अधीन औद्योगिक विकास, संचालन तथा अनुरक्षण निधि की स्थापना.—(1) निगम किसी अनुसूचित बैंक में प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र/फ्लैटिड फैक्टरी काम्पलैक्स का अलग खाता खोलेगी तथा संचालित करेगी तथा "औद्योगिक विकास संचालन एवं अनुरक्षण निधि" के अंतर्गत प्राप्त समस्त आमदनी को उक्त खातों में जमा करेगी । निगम नीचे नियम 11 के अंतर्गत उल्लिखित सभी खर्च इस/इन खातों से पूरा करेगी ।

(2) धारा 8 की उप-धारा (1) के खंड (घ) तथा (ङ) के अंतर्गत औद्योगिक विकास, संचालन एवं अनुरक्षण निधि के घटक निम्न प्रकार होंगे :—

(क) निगम द्वारा किराया/भूमि की बिक्री से प्राप्त तथा अधिनियम के अंतर्गत अन्य चल एवं अचल संपत्तियों के अन्तरण से प्राप्त समस्त आय यद्यपि निधि का एक भाग रहेगा परन्तु निगम इसका प्रयोग औद्योगिक क्षेत्रों, औद्योगिक एस्टेट्स तथा फ्लैटिड फैक्ट्री काम्पलैक्स के अधिग्रहण तथा विकास के लिए करेगी ।

(ख) भू-तल किराया, पार्किंग फीस, औद्योगिक क्षेत्र/एस्टेट/ फ्लैटिड फैक्टरी काम्पलैक्स में भारी वाहनों का प्रवेश शुल्क, होर्डिंग, भुगतान वाले सार्वजनिक शौचालयों से प्राप्त निगम की आय ।

10. औद्योगिक विकास, संचालन एवं अनुरक्षण निधि के अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत अनुप्रयोग.—निगम को इन कार्यों के लिए निधि से धन खर्च करने का अधिकार होगा :

(1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अधिनियम के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्रों, औद्योगिक एस्टेटों तथा फ्लैटिड फैक्टरी काम्पलैक्स की स्थापना, वृद्धि तथा विकास;

(2) सरकार द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत चयनित तथा अधिसूचित औद्योगिक एस्टेटो की स्थापना, संचालन, अनुरक्षण एवं प्रबंध करना जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वर्तमान औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक एस्टेट तथा फ्लैटिड फैक्टरी परिसर भी शामिल है;

(3) भवनों, फ्लैटिड फैक्टरी काम्पलैक्स के विकास एवं निर्माण तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत चुने हुए तथा अधिसूचित स्थानों पर औद्योगिक प्लाटों का विकास तथा उन्हें किसी उद्योग तथा उद्योग श्रेणी के लिए उपलब्ध करवाना;

(4) औद्योगिक एस्टेटों, औद्योगिक क्षेत्रों तथा फ्लैटिड फैक्टरी काम्पलैक्स में सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करना तथा इनके भवनों का निर्माण एवं अनुरक्षण करना या करवाना;

(5) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अधिनियम के अंतर्गत निगम द्वारा विकसित औद्योगिक एस्टेटों, औद्योगिक क्षेत्रों तथा फ्लैटिड फैक्टरियों के काम्पलैक्स के कर्मचारियों के आवास हेतु भवनों का निर्माण;

(6) निगम के प्रकार्यों में उसकी सहायता के कार्यों से संलग्न परामर्शकों, वास्तुविदों या व्यक्तियों या ठेकेदारों को भुगतान करना;

(7) अधिनियम के अन्तर्गत निधि से निर्मित परिसंपत्तियों की देखभाल एवं अभिरक्षा कार्यों में संलग्न एजेंसियों या व्यक्तियों को भुगतान करना;

(8) अधिनियम के अन्तर्गत विकास, संचालन तथा अनुरक्षण तथा इससे संबंधित अन्य प्रकार्यों के लिए निगम द्वारा नियोजित किये गये कर्मचारियों को भुगतान करना;

(9) खर्च किए जाने वाले पैसे की व्यवस्था :—

(i) अधिनियम की धारा 5(ख) के अन्तर्गत किसी क्षेत्र में विकास कार्य हेतु तथा

(ii) (क) आपूर्ति स्रोत से गैस, पानी, बिजली को लाना या कार्यप्रणाली तथा (ख) औद्योगिक प्रक्रिया के दूषित द्रवों को बहाने कि लिए किसी सीवर या ड्रेनेज का निर्माण;

(10) अधिनियम के अन्तर्गत औद्योगिक एस्टेटों, औद्योगिक क्षेत्रों के विकास एवं निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण के फलस्वरूप तथा भूमि भू-अधिग्रहण अधिनियम, 1894 में यथापरिभाषित तथा पात्र सभी इच्छुक व्यक्तियों को मुआवजे का भुगतान करना;

(11) निगम द्वारा किसी प्रकार का नुकसान होने पर सभी पात्र व्यक्तियों को पूर्ण मुआवजे का भुगतान करना;

(12) अधिनियम के उद्देश्यों के लिए निगम के प्रकार्यों के निर्वाह हेतु विज्ञापन, साहित्य, पुस्तिकाओं आदि के प्रकाशन के लिए भुगतान;

(13) अधिनियम की धारा 4 तथा 5 के अंतर्गत निगम को सौंपे गए कार्यों के निर्वाह पर होने वाला अन्य कोई व्यय ।

अध्याय-IV

11. निगम द्वारा भेजे जाने वाला वार्षिक वित्त विवरण, अन्य विवरण तथा रिपोर्ट तथा अधिनियम की धारा 11 तथा 12 के अन्तर्गत लेखाओं के अनुरक्षण की पद्धति :

बजट एवं कार्य निपटान.—(1) निगम प्रतिवर्ष फरवरी के प्रथम दिन से पहले सरकार को पिछले वित्त वर्ष का वार्षिक वित्तीय विवरण तथा कार्य निपटान विवरण भेजेगी ।

(2) वार्षिक वित्तीय विवरण तथा अनुपूरक वित्तीय विवरण, यदि कोई है, फार्म "क" में होगा तथा कार्य निपटान विवरण फार्म "ख" में होगा तथा यह विवरण डीएसआईआईडीसी की वेबसाइट पर अपलोड होगा ।

(3) निगम, सरकार को अपने कार्य निपटान संबंधी विवरण पर एक टिप्पणी जिसमें प्रत्येक स्कीम का इतिवृत्त तथा ब्यौरा दिया जाएगा, अभी तक प्रगति, खर्च तथा अनवरत स्कीम के संबंध में पिछले वर्ष में प्राप्त आय का विवरण होगा, भेजेगी ।

(4) निगम को वर्ष के दौरान कार्य की रूपरेखा में परिवर्तन करने का अधिकार होगा ।

(5) निगम, इस प्रकार किए गए परिवर्तनों से तथा स्वीकृत बजट में पुन: विनियोजन के विषय में सरकार को, अनुपूरक वित्तीय विवरण, यदि कोई है के लिए फार्म 'क' में तथा कार्य की रूपरेखा हेतु फार्म 'ख' में जानकारी देगी ।

टिप्पणी में विशेष रूप से प्रत्येक स्कीम के वित्तीय खर्च को स्पष्ट किया जायेगा ।

12. लेखाओं का अनुरक्षण.—(1) इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए निगम के लेखा निगम में तद्समय अनुसरण की जाने वाली पद्धति से तैयार किए जाएंगे ।

(2) सरकार को, लेखों का वार्षिक विवरण अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत फार्म 'ग' में भेजा जाएगा ।

(3) निगम, अधिनियम के अन्तर्गत अपने कार्य-संचालन एवं लेन-देन के विषय में निधि का अलग नियमित लेखा तैयार करवाएगी ।

13. वार्षिक रिपोर्ट तथा अन्य विवरण.—(1) निगम प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति तिथि से तीन मास के भीतर सरकार को अधिनियम के अन्तर्गत निगम के लेखाओं से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट भिजवाएगी ।

(2) रिपोर्ट में निम्न के विषय में विवरण होंगे :—

(क) अधिनियम के अंतर्गत सरकार द्वारा निगम को विकास, संचालन एवं अनुरक्षण हेतु सौंपे गए औद्योगिक एस्टेटों, औद्योगिक क्षेत्रों तथा फ्लैटिड फैक्टरी काम्पलैक्स;

(ख) रिपोर्ट से संबंधित वर्ष की कार्य रूपरेखा;

(ग) वर्ष के दौरान कार्य की प्रगति जिसमें निम्न के विषय में विशेष विवरण होगा ।

(i) अधिग्रहीत भूमि;

(ii) किए गए विकास कार्य;

(iii) उपलब्ध सुविधाएं;

(iv) औद्योगिक क्षेत्रों/एस्टेट में स्थापित उद्योग, तथा

(v) अन्य सौंपे गए कार्यों का विवरण तथा अधिनियम के अनुरूप निगम द्वारा किए जाने वाले कार्य;

(घ) अधिनियम के अंतर्गत गतिविधियों के लिए निगम हेतु वित्त;

(ङ) अधिनियम के अंतर्गत क्रियाकलापों के लिए निगम तथा प्रशासन के अंतर्गत स्थापना;

(च) अधिनियम के अंतर्गत सरकार द्वारा निगम को दिए गए निर्देश तथा उनका अनुपालन;

(3) निगम समाप्त तिमाही के आगामी माह में अधिनियम के अंतर्गत अपने कार्यों तथा लेखा के आधार पर प्रत्येक वर्ष के अप्रैल, जुलाई, अक्तूबर तथा जनवरी में एक प्रगति रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करेगी ।

अध्याय-V

औद्योगिक क्षेत्रों में अनुपयोगी सरप्लस भूमि

14. औद्योगिक क्षेत्रों में अनुपयोगी सरप्लस भूमि का अधिग्रहण तथा अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत अन्य उद्योगों को आबंटन.—अधिनियम की धारा 15 (4) में यह प्रावधान है कि निगम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर सरकार की संतुष्टि पर कोई भी प्लाट धारक निगम द्वारा उसे सौंपे गए प्लाट के कब्जे की तिथि से समय-समय पर सरकार द्वारा नियत अधिकतम अनुमत अवधि के दौरान अपने प्लाट के भवन उप-नियम के अनुसार न्यूनतम अनुमत बिल्ड-अप-एरिया के उपयोग न किए जाने पर तथा अनुप्रयुक्त हिस्से का

विभाजन किया जा सकता हो ताकि किसी अन्य उद्योग के लिए जगह का उपयोग किया जा सके तो सरकार ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति की तिथि से माह की समाप्ति से पूर्व किसी भी नियम या किसी निविदा का हवाला दिए बिना प्लाट धारक तथा प्लाट में अन्य सभी इच्छुक व्यक्तियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर सकती है कि अनुप्रयुक्त हिस्से का अधिग्रहण क्यों न किया जाए ताकि अन्य किसी उद्योग के प्रयोग हेतु जगह दी जा सके ।

निम्नलिखित को अनुप्रयुक्त हिस्सा नहीं कहा जा सकता, यदि :

(i) यदि आबंटी/कब्जा धारी ऐसी भिन्न औद्योगिक गतिविधियां चला रहा हो जिसके लिए प्लाट आबंटित हो परन्तु वह दिल्ली के लागू मास्टर प्लान के अनुरूप हो ।

(ii) आबंटी/कब्जा धारी अनुमत वाणिज्यिक गतिविधियां चला रहा हो बशर्ते लीज डीड के प्रावधान के संबंध में लीज प्रबंधन से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो और स्थानीय निकाय से अनुमोदन प्राप्त किया हो और समय-समय पर मामले के अनुसार शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार तथा/या स्थानीय निकाय द्वारा अधिसूचित संपरिवर्तन प्रभार का भुगतान किया हो । तथापि रिलोकेशन योजना के अंतर्गत आबंटित प्लाट पर वाणिज्यिक गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी ।

(iii) औद्योगिक गतिविधियों या वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए किसी अन्य फर्म/कंपनी/व्यक्ति को परिसर किराए पर देना जहां औद्योगिक गतिविधियों से वाणिज्यिक गतिविधियों में परिवर्तन के लिए उपरोक्त (ii) के अनुसार अनुमति प्राप्त की गई हो और संपरिवर्तन प्रभार का भुगतान किया गया हो । यह केवल उन्हीं परिसरों के लिए लागू होगा जो फ्रीहोल्ड में परिवर्तित हैं और/या जहां पट्टाकर्ता से सबलेटिंग की अनुमति प्राप्त की गई हो । तथापि रिलोकेशन योजना के अंतर्गत आबंटित प्लाट पर वाणिज्यिक गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी ।

(iv) जहां दिल्ली में लागू मास्टर प्लान के अनुरूप भूमि का उपयोग हो रहा हो ।

(v) जहां दिल्ली में लागू मास्टर प्लान तथा भवन उप-नियम के अनुरूप भवन का निर्माण किया गया हो ।

अध्याय-VI

अनुपूरक तथा विविध उपबंध

15 अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत नोटिस की सर्विस.—सभी नोटिस, आदेश तथा अन्य दस्तावेज विधिवत उसी प्रकार से सर्विस किए जाएंगे जैसाकि निम्न प्रकार निर्धारित है :—

(क) जहां व्यक्ति को कंपनी के रूप में सर्वड करना हो, वहां कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 51 के प्रावधान के रूप में सर्विस प्रभावित होगी ।

(ख) जहां व्यक्ति को फर्म के रूप में सर्वड करना हो, जहां दस्तावेज फर्म को इसके मूल कार्य क्षेत्र पहचानना या प्रकार जिसके अंतर्गत व्यापार किया जा रहा हो, और अन्यथा :—

(i) यदि ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है, तो उनके अंतिम ज्ञात निवास स्थल या व्यवसाय स्थल या उनके भागीदारी को सौंपा जाए या उसके परिवार के वयस्क सदस्य को सौंपा जाए या उससे संबंधित भूमि या भवन पर लगाया जाए; या

(ii) सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग या पंजीकृत डाक से भेजा जाए;

(ग) जहां व्यक्ति को सांविधिक सार्वजनिक निकाय या निगम या सामाजिक या अन्य निकाय के रूप में सर्विस करना हो, यदि दस्तावेज सचिव, खजांची या निकाय के किसी प्रधान अधिकारी, निगम या समाज को उसके मूल कार्यालय को संबोधित है तथा अन्यथा :—

(i) को दिया जाए या सौंपा जाए; या

(ii) यदि ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है तो इसे उसके अंतिम ज्ञात आवास स्थान या व्यवसाय या उसके परिवार के किसी वयस्क सदस्य को सौंपा जाए या भूमि या संबंधित भवन के सुस्पष्ट स्थल पर लगाया जाए; या

(iii) डाक प्रमाणित या पंजीकृत डाक द्वारा भेजा गया हो;

(घ) अन्य किसी मामले में, यदि दस्तावेज व्यक्ति को संबोधित हो और —

(i) दिया गया या उसे सौंपा गया; या

(ii) यदि ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है, तो उसके अंतिम ज्ञात निवास के सुस्पष्ट स्थल या व्यवसाय या दिए गए या उसके परिवार के किसी वयस्क सदस्य को सौंपा जाए या उससे संबंधित भूमि या भवन के किसी स्थल पर लगाया जाए; या

(iii) व्यक्ति को डाक प्रमाणित या पंजीकृत डाक से भेजा जाए ।

(2) कोई भी अपेक्षित दस्तावेज या मालिक को सर्व करने हेतु प्राधिकृत या किसी भूमि या भवन के कब्जे के लिए उस भूमि या भवन (नामतः भूमि व बिल्डिंग) के मालिक या कब्जा धारक को मामले के अनुसार संबोधित किया गया हो जिसका आगक नाम या विवरण न हो और जिसे विधिवत सर्व माना जाए :—

(क) यदि इस प्रकार संबोधित दस्तावेज उप-धारा (1) के खंड (घ) के अनुरूप भेजे या सुपुर्द किए गए हों; या

(ख) यदि इस प्रकार संबोधित दस्तावेज या उनकी प्रति इस प्रकार संबोधित हो या भूमि या भवन पर कुछ व्यक्ति को सौंपा गया हो या जहां उस भूमि या भवन पर कोई व्यक्ति न हो जिसे यह सुपुर्द किया जा सकता है उसे उस भूमि या भवन के हिस्से के सुस्पष्ट हिस्से पर लगाया जा सकता है ।

(3) जहां इस धारा के अनुरूप फर्म को दस्तावेज सर्व किया गया हो, तो प्रत्येक भागीदार को दस्तावेज सर्व किया माना जाए ।

(4) किसी संपत्ति के मालिक को सर्व किसी दस्तावेज को समर्थ बनाने के उद्देश्य, तो संपत्ति का कब्जा धारक को (यदि कोई) सरकार या निगम द्वारा लिखित में नोटिस देना, जैसा मामला हो, में मालिक के नाम तथा पता का उल्लेख हो ।

16 अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत शिकायत दर्ज करना.—दिल्ली सरकार में उद्योग के उपायुक्त के रैंक से कम न हो या निगम में कार्यपालक इंजीनियर का अधिकारी या निगम द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत अधिकारी को संपत्ति से संबंधित शिकायत दर्ज करने का अधिकार है या न्यायालय में निगम में इस अधिनियम के अंतर्गत या निहित ।

अनुसूची-1

(नियम 8 देखिए)

(रुपयों में)

(1)	(2)	(3)
(1)	औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक संपदा/ फ्लैटिड कारखाना परिसर में सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए खर्च किए जाने वाला कुल अनुमानित व्यय ।	ई ए
(2)	अधिनियम की धारा 8 (1) (क), 8(1)(ख), 8 (1)(ग) और 8 (2) के अंतर्गत औद्योगिक विकास प्रचालन और अनुरक्षण निधि में जमा की जाने वाली कुल अनुमानित प्राप्ति	आर एफ
(3)	प्राप्तियों से अधिक व्यय	(ईए-आरएफ)-एस एफ
(4)	प्रयोक्ताओं से प्राप्तियों से अधिक व्यय होने पर वसूल किए जाने वाला प्रतिशत (निगम द्वारा निर्णित किया जाए)	एक्स प्रतिशत
(5)	प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाला कुल शुल्क	$\frac{\text{एक्स} \times \text{एसएफ}}{100} = \text{एम}$
(6)	औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक संपदा/ फ्लैटिड कारखाना परिसर में प्रयोक्ताओं के कब्जे प्लॉटों का कुल क्षेत्रफल	ए वर्ग मीटर
(7)	प्रत्येक प्लॉट होल्डर के शुल्क/ प्रभार का शेयर	$\frac{\text{एम}}{\text{ए}} \times$ प्लॉट होल्डर के कब्जे में भूखंड/फ्लैटिड कारखाने का क्षेत्रफल ।

"क" प्रपत्र

[नियम 11(1)(2)(5) देखें]

वार्षिक वित्तीय विवरण

(I) निगम के वार्षिक बजट के अनुमान वर्ष .....

राजस्व प्राप्तियां

(रुपये हजारों में)

उप-शीर्षक	पूर्ववर्ती वर्ष के वास्तविक	चालू वर्ष के बजट अनुमान	चालू वर्ष के संशोधित अनुमान	आगामी वर्ष के बजट अनुमान	कथन (बढ़ोतरी/ घटाने का व्याख्या)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. सरकार से प्राप्त आर्थिक सहायता अनुदान ऋण या अन्य प्रकार से प्राप्त					
2. शुल्क					
3. भूतल भाड़ा					
4. भूमि, भवनों तथा अन्य चल एवं अचल संपत्तियों का निपटान					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. पट्टा की गई भूमि का वार्षिक भाड़ा					
6. भवन का वार्षिक भाड़ा					
7. सेवा प्रभार					
8. परिवर्तन प्रभार					
9. विविध ठेकेदारों से प्राप्त अर्थदंड जमा राशि ब्याज की जब्ती					
जोड़ :					
घाटा :					

(II) निगम के बजट अनुमान वर्ष .....

(राजस्व व्यय)

(रुपये हजारों में)

उप-शीर्षक	पूर्ववर्ती वर्ष के वास्तविक	चालू वर्ष के बजट अनुमान	चालू वर्ष के संशोधित अनुमान	आगामी वर्ष के बजट अनुमान	कथन (बढ़ोतरी/ घटाने का व्याख्या)
(1) प्रशासनिक व्यय					
(क) स्थापना और अन्य प्रभार					
(ख) संभाव्य व्यय					
जोड़ 1					
पूंजीगत खाते में विकास व्यय के लिए अन्तरित.....प्रतिशत कटौती					
शुद्ध					
(2) कार्यकारी					
(क) स्थापना और अन्य प्रभार					
(ख) संभाव्य व्यय					
पूंजीगत खाते में विकास व्यय के लिए अन्तरित.....प्रतिशत कटौती					
शुद्ध					
(3) जलपूर्ती एवं विद्युत पूर्ति प्रभार					
(4) अनुरक्षण एवं मरम्मत					
पूंजीगत खाते में विकास व्यय के लिए अन्तरित.....प्रतिशत कटौती					
(5) मूल्य ह्रास					
(6) ऋण जारी करने संबंधी व्यय					
(7) शोधन निधि अन्तरण					
(8) विविध					
(9) जोड़ :					
सरप्लस :					

4157DG/11-2

(III) निगम के बजट अनुमान वर्ष .....

(पूंजीगत प्राप्तियां)

(रुपये हजारों में)

उप-शीर्षक	पूर्ववर्ती वर्ष के वास्तविक	चालू वर्ष के बजट अनुमान	चालू वर्ष के संशोधित अनुमान	आगामी वर्ष के बजट अनुमान	कथन (बढ़ोतरी/ घटाने का व्याख्या)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. प्राप्त ऋण					
(क) सरकार से					
(ख) स्वामी का ऋण (सरकारी या निजी)					
(2) जमा राशियां					
(क) भू-खंडों तथा भवनों का पट्टा					
(ख) अन्य प्राप्तियां					
(3) विविध					
(4) राजस्व से शोध निधि अन्तरण					
कटौती कीजिए-निवेश					
जोड़					
पूंजीगत घाटा					

(IV) निगम का बजट पूर्वानुमान वर्ष .....

(पूंजीगत व्यय)

(रुपये हजारों में)

उप-शीर्षक	पूर्ववर्ती वर्ष के वास्तविक	चालू वर्ष के बजट अनुमान	चालू वर्ष के संशोधित अनुमान	बजट अनुमान	कथन (बढ़ोतरी/ घटाने का व्याख्या)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(I) अचल परिसंपत्तियाँ					
(II) विकास कार्य					
(क) औद्योगिक क्षेत्र एवं एस्टेट्स एवं फलैटिड फैक्टरी परिसर					
(ख) औद्योगिक क्षेत्रों तथा एस्टेट तथा फलैटिड फैक्टरी परिसर का संचालन एवं अनुरक्षण					
(III) अन्य स्कीमों का विकास					
(IV) सरकार के लिए तथा सरकार की तरफ से शुरू की गई स्कीमों का विकास सरकार की जमा राशि घटा कर					
(V) सरकार के अलावा अन्य निकायों की तरफ से शुरू विकास स्कीमें । जमा राशि घटा कर					
(VI) स्टाक					
(VII) अग्रिम राशि					
(VIII) विविध लेनदार (-)					
कुल					
पूंजीगत अतिरेक					

(V) निगम का बजट पूर्वानुमान वर्ष .....

(स्कीम का विवरण)

(रुपये हजारों में)

स्कीम का नाम	कुल अनुमानित लागत	31 मार्च 20.... तक व्यय	पूर्ववर्ती वर्ष के वास्तविक	चालू वर्ष के बजट अनुमान	चालू वर्ष के संशोधित अनुमान	बजट अनुमान	कथन (बढ़ोतरी/ घटाने का व्याख्या)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. सर्वेक्षण एवं नियोजन							
2. सड़कें							
3. जल एवं गंदा पानी							
4. बरसाती पानी नालियाँ							
5. बिजली कार्य							
6. बागवानी							
7. भवन							
8. विविध, आकस्मिक सहित							
कुल							

राजस्व अतिरेक : राजस्व घाटा :

पूंजीगत अतिरेक : पूंजीगत घाटा :

स्पष्टीकरण नोट :

फार्म "ख"

[नियम 11(1)(2)(5) देखें]

कार्य का वार्षिक कार्यक्रम

क्रम सं.	स्कीम का नाम	कार्य की अनुमानित लागत	जिस वर्ष में कार्यक्रम प्रस्तावित है उसमें अनुमानित व्यय	अनुमानित प्राप्तियां	उद्योगों की प्रमुख विशेषताएं, जन सुविधाएं तथा सुविधा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

फार्म "ग"

[नियम 12(2) देखें]

दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम

(i) तुलन पत्र 31 मार्च, ...

(रुपये हजारों में)

अवधि के अंत में	देयताएं	विस्तृत शीर्ष का उद्योग	उपशीर्ष का योग	मुख्य शीर्ष का योग	— के अंत में	परिसंपत्तियां	उपशीर्ष का योग	मुख्य शीर्ष का योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	सरकारी ऋण के पुन: भुगतान की राशि					1. औद्योगिक क्षेत्र एवं एस्टेट्स:—		
	(क) वी आई डी का व्यय					(i) राज्य के विकसित भाग		
	(ख) अन्य ऋण नकद या निर्माण कार्य व्यय					(ii) राज्य के विकाशील भाग		
						(iii) टेकिनशियन शेड		
						(iv) फलैटिड फैक्टरी भवन, पूंजीगत लेखा पर प्राप्तियां छोड़कर		
	ख. जनता से ऋण (प्रत्येक विषय के लिये अलग शीर्ष)					2. जलापूर्ती स्कीम व्यय पूंजीगत लेखा पर प्राप्तियां छोड़कर		
	ग. सरकार के लिए या उसकी तरफ से शुरू की गई स्कीमों के लिए सरकार से प्राप्त जमा राशि					3. आवासीय भवन		
	घ. सरकार के अलावा अन्य निकायों द्वारा सौंपी गई स्कीमों के लिए जमा राशि					4. अन्य परिसंपत्तियां ह्रास घटाकर		
	ड. जमा :—					5. हस्तगत स्टॉक		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	(1) प्लाटों तथा भवनों के लिए शत्रु लीज					6. नकद		
	(i) राज्य का विकसित भाग					7. अंत: प्रभागीय समायोजन प्रेषण		
	(ii) राज्य के विकाससील भाग					8. शोधन निधि निदेश खाता (i) निदेश (ii) बेंक में नकदी		
	(iii) टेक्नीशियन शैड					(iii) प्राप्त ब्याज		
	(iv) फ्लैटिड फैक्टरी भवन					9. अग्रिम		
	2. क्रियाशील एस्टेट में शेडों के लिए					(क) राज्य सरकार से देय		
	3. भूमि लीज के लिए वार्षिक किराए हेतु					(ख) सरकार को खाते पर अग्रिम भुगतान		
	4. सरकार की तरफ से रखे गए विविध जमा राशि					(ग) विविध अग्रिम		
						(घ) निगम कर्मचारियों के अग्रिम		
	5. अन्य जमा राशि					(ड.) वसूलनीय राशि		
	(च) फुटकर जमाकर्ता					10. ऋण पत्र जारी करने के संबंध में प्राथमिक खर्च		
	(छ) शोधन निधि							
	(ज) अधिशेष					(i) ऋण बाँड पर छूट		
						(ii) अन्य व्यय के लिए कमी		

(ii) औद्योगिक क्षेत्रों तथा एस्टेटों के विकास पर व्यय दर्शाने वाला विवरण .....

31 मार्च तक विकसित भाग .....

परिसंपत्ति-मद 1 (i)

31 मार्च तक (रुपए हजारों में)

क्र. सं.	औद्योगिक	विकास व्यय	प्रशासनिक प्रभार	कुल व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

31 मार्च तक (रुपए हजारों में)

विकास व्यय	प्रशासनिक व्यय	कुल व्यय	विकास व्यय	प्रशासनिक प्रभार	कुल व्यय
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

(iii) औद्योगिक क्षेत्रों तथा एस्टेटों के विकास पर व्यय दर्शाने वाला विवरण.....

31 मार्च तक विकसित भाग.....

(परिसंपत्ति-मद 2)

31 मार्च तक (रुपए हजारों में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	विकास व्यय	प्रशासनिक प्रभार	ब्याज	कुल व्यय	विकास व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

31 मार्च तक (रुपए हजारों में)

प्रशासनिक प्रभार	ब्याज	कुल व्यय	विकास व्यय	प्रशासनिक प्रभार	ब्याज	विकास व्यय
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

(iv) 31 मार्च ..... तक अन्य परिसंपत्तियों की अनूसूची

(परिसंपत्ति-मद 4)

क्र. सं.	परिसंपत्ति का नाम	31 मार्च तक शेष	परिवर्धन	31 मार्च तक कुल	निपटान	विवरण	31 मार्च तक शेष	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

31 मार्च..... को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा

(रुपये हजारों में)

पूर्व वर्ष के लिए	व्यय	उप-शीर्ष का कुल	मुख्य शीर्ष का कुल	पूर्व वर्ष के लिये	आय	उप-शीर्ष का का कुल	मुख्य शीर्ष का कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	3. जल आपूर्ति योजनाएं एवं आवासीय भवन						
	(क) जलापूर्ति						
	(i) संस्थापना						
	(ii) रखरखाव एवं मरम्मत						
	(iii) राजस्व प्रभार						
	(iv) ब्याज						
	(ख) आवासीय भवन						
	(i) संस्थापना						
	(ii) अनुरक्षण एवं मरम्मत						
	(iii) ब्याज						
	4. अनुरक्षण एवं मरम्मत						
	घटाना: औजार एवं संयंत्रों को भाड़े पर लेने संबंधी वसूलियां						
	घटाना: विकास व्यय के लिए शत-प्रतिशत स्थानान्तरण						
	5. विवरण:						
	(i) कार्यकारी						
	(ii) प्रशासनिक						
	घटाईए : विकास व्यय के लिए अंतरित						
	6. ऋण जारी करने से संबंधित व्यय						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	7. ऋण पर ब्याज;						
	घटाईए:						
	(i) ब्याज पूंजीगत:						
	(क) जलापूर्ति						
	(ख) आवासीय भवन						
	(ii) ब्याज अंतरित						
	(1) मद 3 (क)						
	ऊपर						
	(2) मद 3 (ख)						
	ऊपर						
	8. विविध						
	9. शोधन निधि के लिए अंतरित राशि						
	10 वर्ष.....के लिये अधिशेष						

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

सी. अरविन्द, संयुक्त सचिव, उद्योग

INDUSTRIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 11th November, 2011

No. F. Comm/CI/2007/31/(Vol. III)/5043.—In exercise of the powers conferred by Section 32 of the Delhi Industrial Development, Operation and Maintenance Act, 2010 (Delhi Act, 08 of 2010), the Government of National Capital Territory of Delhi, after consultation with Delhi State Industrial and Infrastructure Development Corporation Ltd. in regards to matters concerning it, hereby makes the following rules, namely :—

The Delhi Industrial Development, Operation and Maintenance Rules, 2011

CHAPTER 1

PRELIMINARY

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Delhi Industrial Development, Operation and Maintenance Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,

(a) "Act" means the Delhi Industrial Development, Operation and Maintenance Act, 2010 (Delhi Act, 08 of 2010);

(b) "company" means a company as defined in Section 3 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956);

(c) "firm" means a firm as defined in Section 4 of the Indian Partnership Act, 1932 (9 of 1932);

(d) "Managing Director" means the Managing Director of the Corporation appointed by the Government;

(e) "notification" means a notification published in the official Gazette;

(f) "occupier" in relation to any establishment, factory or premises, means the person who has control over the affairs of the establishment, factory or premises, as the case may be, and includes, in relation to any substance, the person in possession of the substance;

(g) "user" means any establishment, factory or premises located within the industrial area using services such as construction or maintenance or roads, drainage, operation and maintenance of Common Effluent Treatment Plants (CETPs) and such other services and emenities as may be provided by the Corporation.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.